



दिल्ली विकास प्राधिकरण
आवास (समन्वय) शाखा
द्वितीय तल, ब्लॉक - डी, विकास सदन, नई दिल्ली

कंप्यूटर संख्या: 115222

सं एफ/1/0066/2026/कॉर्ड/कॉर्डिनेशन (एच)/4319

दिनांक: 08.09.2026

परिपत्र

विषय: पॉकेट 11, सेक्टर ए1-ए4, नरेला में डीडीए कर्मजीवी आवास योजना 2026 के अंतर्गत अतिरिक्त 544 फ्लैटों की पेशकश के संबंध में।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने देश के कर्मजीवियों की आवास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए "डीडीए कर्मजीवी योजना 2026" नामक एक विशेष आवास योजना शुरू की थी।

2. इस योजना को पात्र आवेदकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, बुकिंग शुरू होने के एक महीने से भी कम समय में कुल फ्लैट्स में से 60% से अधिक बिक चुके हैं। योजना को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए और कर्मजीवियों, विशेष रूप से किफायती श्रेणियों के अंतर्गत, को अतिरिक्त आवास अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, उक्त योजना के अंतर्गत पॉकेट 11, सेक्टर ए1-ए4, नरेला में स्थित 544 नवनिर्मित फ्लैट अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। अतिरिक्त फ्लैटों का विवरण इस प्रकार है:

पॉकेट 11, सेक्टर ए1-ए4, नरेला में अतिरिक्त फ्लैटों का विवरण :

क्र. स.	प्लैट की श्रेणी	प्लैटों की संख्या	प्लिंथ एरिया रेंज * कॉमन एरिया और बालकनी सहित (वर्ग मीटर में)		छूट	रखरखाव शुल्क को छोड़कर निपटान मूल्य सीमा (रुपए लाख में) 25% छूट के बाद	
			न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1.	1- बीएचके	256 (टॉवर जेड)	61.07	61.55	25%	33.51	33.77
2.	2- बीएचके	288 (टावर एन और पी)	126.5 4	139.99		75.55	83.58
		544					

* पार्किंग एरिया भी उपलब्ध है {1- बीएचके: 5.76 वर्ग मीटर, 2- बीएचके: 11.52 वर्ग मीटर}

#उपरोक्त अनुमानित निपटान मूल्य केवल इसी स्कीम के लिए मान्य है। प्रत्येक प्लैट का मूल्य उसके प्लिंथ एरिया के हिसाब से अलग-अलग होगा। इसके अलावा, मांग-एवं-आबंटन पत्र जारी करते समय रखरखाव शुल्क, परिवर्तन शुल्क और पानी का कनेक्शन चार्ज अलग से मांगा जाएगा।

विभिन्न श्रेणी के प्लैटों के लिए रखरखाव शुल्क इस प्रकार होंगे:

क्र. स..	श्रेणी	कॉर्पस फंड की राशि (रु में)	सोसायटी के नियमित रखरखाव के लिए मासिक रखरखाव शुल्क, प्रति वर्ग मीटर, प्रति माह एक वर्ष हेतु	12 महीने के लिए मासिक रखरखाव शुल्क अग्रिम रूप से लिया जाएगा *	
				न्यूनतम	अधिकतम
1	1-बीएचके	75,000 रुपये	1.5 रुपये	11,832 रुपये	11,925 रुपये
2	2-बीएचके	1,50,000 रुपये	2.00 रुपये	32,690 रुपये	36,164 रुपये

*रखरखाव शुल्क पर जीएसटी नहीं ली जाएगी ।

3. अतिरिक्त फ्लैटों की पेशकश योजना के अंतर्गत पूर्ववर्ती प्रस्तावित फ्लैटों पर लागू समान नियमों एवं शर्तों के आधार पर की जाएगी, जिसमें निपटान कीमत पर 25% की छूट भी शामिल होगी।

4. इन अतिरिक्त फ्लैटों का आवंटन भी पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) के आधार पर उपलब्धता के अधीन, दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास पोर्टल (<https://eservices.dda.org.in>) के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक खरीदारों को बुकिंग में भाग लेने के लिए सक्षम बनाने के लिए वे वर्तमान में चल रही दि.वि.प्रा. कर्मजीवी आवास योजना 2026 में पंजीकरण करा सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि

यदि कोई व्यक्ति दि.वि.प्रा. के आवास विभाग की किसी भी पहले आओ, पहले पाओ योजना में पहले से पंजीकृत है, तो वह भी इस योजना के अंतर्गत फ्लैट बुक करने के लिए पात्र होगा।

इन अतिरिक्त फ्लैटों की बुकिंग सोमवार, दिनांक 14 सितंबर 2026 को दोपहर 12:00 बजे से गणेश चतुर्थी/ विनायक चतुर्थी के शुभ अवसर पर प्रारंभ होगी।

5. डीडीए कर्मजीवी आवास योजना की विस्तृत योजना विवरणिका (ब्रोशर) में निर्धारित अन्य सभी नियम एवं शर्तें, पात्रता मानदंड, बुकिंग राशि तथा आवेदन एवं बुकिंग की प्रक्रिया यथावत रहेंगी तथा ऑफर किए जा रहे अतिरिक्त फ्लैटों पर भी लागू होगी।

6. इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे योजना तथा प्रस्तावित अतिरिक्त फ्लैटों के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in और eservices.dda.org.in देखें। अतिरिक्त रूप से प्रस्तावित 544 फ्लैटों की सूची एवं इकाई लेआउट प्लान संलग्न है। अन्य किसी जानकारी अथवा फ्लैट के भौतिक निरीक्षण हेतु इच्छुक आवेदक निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:

क) श्री महेंद्र सिंह, (सहायक अभियंता/ एनपीडी-9) (मोबाइल: 9873379012)

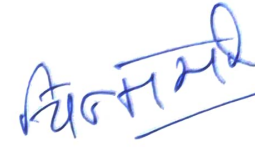
ख) श्री विवेक प्रकाश, (सहायक अभियंता/ एनपीडी-9) (मोबाइल: 7303871570)

ग) श्री अर्चित कटियार, (कनिष्ठ अभियंता/ एनपीडी-9) (मोबाइल: 9149080345)

घ) श्री सुमित कुमार सिंह, (कनिष्ठ अभियंता/एनपीडी-9) (मोबाइल: 8791579309)

यह आदेश माननीय उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार



(चिन्मयी चक्रवर्ती)

उप निदेशक, आवास (समन्वय)